

कार्यालय-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-mail : nodalofficerddn@gmail.com

Phone/ Fax: 0135-2767611

पत्रांक- /FP/UK/ROAD/38416/2019 : देहरादून: दिनांक: 18 मई, 2023

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
25, सुभाष रोड़, देहरादून।

वनाधिकारी
गोपाल मल्ल
50

विषय:- जनपद रुद्रप्रयाग में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत कुणजेठी से ब्यूखी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.7225 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र संख्या-8बी०/यू०सी०पी०/०६/१९७/२०१९/एफ०सी०/५२३ दिनांक ०६-०८-२०२१

महोदय,

विषयांकित प्रकरण पर भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित EDS दिनांक ०६-०८-२०२१ के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग से प्राप्त आख्या के क्रम में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित बिन्दुवार सूचना निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है :-

क्र०सं०	प्रश्न	उत्तर
3(क)	Name of the CA area has not been mentioned in compliance. State Government may submit clarification in this regard.	प्रभागीय वनाधिकारी, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग द्वारा अवगत कराया गया है कि वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 5.445 है० आरक्षित वन भूमि चौरास क०सं०-४ पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जायेगा।
3(ख)	Name of the CA area has not been mentioned in undertaking. State Government may submit an undertaking mentioning the name of the proposed CA area, that selected CA area has not been proposed for any other proposal in past.	प्रस्तावक विभाग द्वारा उक्त के सम्बन्ध में वांछित प्रमाण-पत्र प्रेषित किया गया है, जिसकी प्रति संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-१)
8	State Government may submit CA scheme with detailed breakup of money and ensure pantation of indigenous species only in the CA area, along with the list of species and their respective number of plants to be planted.	प्रभागीय वनाधिकारी, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग द्वारा अवगत कराया गया है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु डिमाण्ड नोट से जमा धनराशि के अनुसार संशोधित क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (संलग्नक-२)
9	State Government may provide the revenue code of beneficiary village to this office.	प्रभागीय वनाधिकारी, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग द्वारा अवगत कराया गया है कि ग्राम कुणजेठी का Revenue code-042089 है एवं ग्राम ब्यूखी का Revenue code-042088 है।

अतः उप वन संरक्षक, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग द्वारा प्रेषित प्रतिउत्तर के क्रम में विषयांकित प्रकरण पर यथोचित कार्यवाही करने पर विचार करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(एस०एस० रसाईली)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, देहरादून।

संख्या-2628 /FP/UK/ROAD/38416/2019 दिनांकित।

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रभागीय वनाधिकारी, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।
2. अधिशासी अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई० (सि०ख०), जखोली (रुद्रप्रयाग)।

18/5/23

(एस०एस० रसाईली)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, देहरादून।



ई, मेल :- dforudraprayag@gmail.com

फोन/ फेक्स नं० :- 01364 - 233505::

पता :- माई की मढ़ी निकट जवाडी बाईपास रुद्रप्रयाग

कार्यालय उप वन संरक्षक, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।

पत्रांक- 2650 / 12-1-2 दिनांक 16-3 / 2022::

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
(वन संरक्षण) इन्दिरा नगर फारेस्ट कॉलोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय:-

जनपद-रुद्रप्रयाग में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत कुणजेठी से ब्यूंखी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.7225 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन। PROPOSAL NO. - FP/UK/ROAD/38416/2019

सन्दर्भ :-

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पत्र संख्या-08बी/यू०सी०पी०/06/197/2019/एफ०सी०/523 दिनांक 06.08.2021।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित विषयक प्रकरण में प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों की अनुपालन आख्या में भारत सरकार स्तर से लगाई गई आपत्तियों का निराकरण अधिशासी अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई०, (सि०ख०) जखोली ने उनके पत्रांक-1022 दिनांक 21.01.2022 के द्वारा बिन्दुवार इस कार्यलय को प्रेषित की है, जो कि निम्न प्रकार प्रेषित है-

रा०सं०	आपत्ति	निराकरण
3(क)	Name of the CA area has not been mentioned in compliance. State Government may submit clarification in this regard.	वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 5.445 है० आरक्षित वन भूमि चौरास क०सं०-4 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जायेगा।
3(ख)	Name of the CA area has not been mentioned in undertaking. State Government may submit an undertaking mentioning the name of the proposed CA area, that selected CA area has not been proposed for any other proposal in past.	संशोधित प्रमाण पत्र संलग्न है।
8	State Government may submit CA scheme with detailed breakup of money and ensure plantation of indigenous species only in the CA area, along with the list of species and their respective number of plants to be planted.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु डिमांड नोट से जमा धनराशि के अनुसार संशोधित क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना संलग्न है।
9	State Government may provide the revenue code of beneficiary village to this office.	Revenue code of village Kunjethi - 042089 and Byunkhi - 042088.

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार। (दो प्रतियों में)

संख्या- 2650 / दिनांकित।

प्रतिलिपि :- अधिशासी अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई०, (सि०ख०) जखोली को उनके उक्त पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

o/c

भवदीय

उप वन संरक्षक,
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।

उप वन संरक्षक,
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।

प्रमाण-पत्र

योजना का नाम :- जनपद-रुद्रप्रयाग में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत कुणजेठी से ब्यूंखी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.7225 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।
PROPOSAL NO. - FP/UK/ROAD/38416/2019

“प्रमाणित किया जाता है प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित वन भूमि के एवज में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित 5.445 है० चौरास क०सं०-4 आरक्षित वन भूमि पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।”

~~रुद्रप्रयाग संरक्षक~~
रुद्रप्रयाग वन विभाग, रुद्रप्रयाग।
रुद्रप्रयाग

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
पी०एम०जी०एस०वाई०(सि०ख०)

जखोली, रुद्रप्रयाग।

Email. eeptngsy.jakholi@rediffmail.com

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना

पत्रांक:- 1022 / पी०एम०जी०एस०वाई० / सि०ख० / दिनांक 21 / 01 / 2022

सेवा में,

उप वन संरक्षक,
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग,
जनपद-रुद्रप्रयाग।

विषय- जनपद रुद्रप्रयाग में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत कुण्जेठी से ब्यूखी मोटर मार्ग की अनुपालन आख्या में आयी कमियों के निराकरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- भारत सरकार के पत्र संख्या:- 8बी./यू.सी.पी./06/197/2019/एफ.सी./523 दिनांक 06.08.2021।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र (संलग्न) के क्रम में अवगत कराना है, कि इस खण्डान्तर्गत कुण्जेठी से ब्यूखी मोटर मार्ग (FP/UK/ROAD/38416/2019) की सैद्धान्तिक स्वीकृति के पश्चात विधिवत स्वीकृति हेतु अनुपालन आख्या प्रेषित की गयी थी। भारत सरकार द्वारा अनुपालन आख्या में कमियाँ पायी गयी। जिसका विवरण निम्नानुसार है-

शर्त संख्या	कमियाँ	निराकरण
3 (क)	Name of the CA area has not been mentioned in compliance. State Government may submit clarification in this regard.	वन विभाग द्वारा किया जाना है
3 (ख)	Name of the CA area has not been mentioned in undertaking. State Government may submit an undertaking mentioning the name of the proposed CA area, that selected CA area has not been proposed for any other proposal in past.	वन विभाग द्वारा किया जाना है
8	State Government may submit CA scheme with detailed breakup of money and ensure plantation of indigenous species only in the CA area, along with the list of species and their respective number of plants to be planted.	वन विभाग द्वारा किया जाना है
9	State Government may provide the revenue code of beneficiary village to this office.	Revenue code Kunjethi-042089 Byunkhi-042088

अतः महोदय अपने स्तर से उचित कार्यवाही करने का कष्ट करें। जिससे उक्त मोटर मार्ग की विधिवत स्वीकृति प्राप्त हो सके।

अधिशासी अभियन्ता,
पी०एम०जी०एस०वाई०(सि०ख०)
जखोली,(रुद्रप्रयाग)

पत्रांक:- / पी०एम०जी०एस०वाई० / सि०ख० / तददिनांक


प्रतिलिपि:- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड को सूचनाार्थ।

अधिशासी अभियन्ता,
पी०एम०जी०एस०वाई०(सि०ख०)
जखोली,(रुद्रप्रयाग)

प्रमाण-पत्र

योजना का नाम :- जनपद-रुद्रप्रयाग में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत कुणजेठी से ब्यूंखी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.7225 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।
PROPOSAL NO. - FP/UK/ROAD/38416/2019

“प्रमाणित किया जाता है प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित वन भूमि के एवज में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित 5.445 है० चौरास क०सं०-4 आरक्षित वन भूमि पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।”


रुद्रप्रयाग संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन विभाग, रुद्रप्रयाग।
रुद्रप्रयाग

विशेष योजना का नाम :- जनपद रुद्रप्रयाग में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कुणजेठी से ब्यूंखी मोटर रोड के नव निर्माण हेतु 2.7225 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दस वर्षीय (एस० एस० पी०)

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का नाम-

चौरास क०सं०-4

क्षतिपूरक वनीकरण का प्रस्तावित क्षेत्रफल (है० में)

5.445

है०

वर्ष 2020-21

क्र. सं.	रोपित प्रजातियां	संख्या
1	सीरस	1000
2	कचनार	1445
3	शहतूत	1000
4	शींगल	2000
योग		5445
रोपित कुल पौध		5445

प्रथम चरण

क्र०	कार्य का विवरण	इकाई	इकाई दर प्रति रु०	व्यय	
1	सर्वे व सीमांकन				
2	क्षेत्र की सफाई कार्य (झाड़ी कटान आदि कार्य)	5 4450	है०	115 00	626 18
3	अग्रिम दीवालबन्दी कार्य (फेंसिंग) कार्य	5 4450	है०	3730 00	20309 85
4	गड्डो का खुदान (0.30x0x30x0.45cum) रेखांकन सहित	5 4450	है०	38637 00	210378 47
5	निरीक्षण बटिया का निर्माण करना (प्रति है० 100र०मी० लम्बी व 0.60मी० चौड़ी)	5445	प्र०ग०	7 95	43287 75
6	पौधों की कीमत प्रथम वर्ष उगाने का	326 700	वर्ग मी०	18 00	5880 60
7	अन्य व्यय जैसे यंत्र सयन्त्र औजार तैज करना	5445	प्र० स०	6 20	33759 00
8	अन्य कार्य (जल संग्रहण एवं भूमि संरक्षण कार्य हेतु धनराशि का प्राविधान)	5 4450	है०	915 00	4982 18
प्रथम चरण का योग				9150 00	49821 75
					369045 77

द्वितीय चरण

1	गड्डा भरण कार्य (0.30x0.30x0.45)Cum	5445	सं०	1 42	7731 90
2	पौधों की कीमत (द्वितीय वर्ष)	5445	सं०	1 80	9801 00
3	पौध डुलान कार्य	5445	सं०	9 00	49005 00
4	पौध रोपण कार्य व थावला बन्दी कार्य	5445	सं०	2 77	15082 66
5	निराई गुड़ाई करना प्रथम बार	5445	सं०	1 89	10291 06
6	निराई गुड़ाई करना मय मलचिग कार्य द्वितीय बार	5445	सं०	1 63	8875 36
7	खाद व दवा पर व्यय	5 4450	है०	1200 00	6534 00
8	प्रथम वर्ष में वृक्षारोपण की देख रेख व रखरखाव पर व्यय	5 4450	प्र०है० / माह	685 प्रतिमाह / प्रति है०	44757 90
9	6.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखीघास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है० झाड़ी कटान (लेन्टना गाजर घास/ काला बासा)	5 4450	है०	1887 00/ हे०	10274 72
10	6.2 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामिणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु	5 445		L S	2825 96
कुल योग द्वितीय चरण					165179 52

तृतीय चरण

1	वनीकरण चाकदार 12 माह	5 4450	रु०	685 00	44757 90
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखीघास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है० झाड़ी कटान (लेन्टना गाजर घास/ कालाबासा)	5 4450	रु०	1887 00	10274 72
3	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामिणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्राथमिक तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों / समितियों को व- प्रशिक्षण	5 445		L S	9801 00
4	पौधों की लागत कुल रोपण का 10 प्रतिशत	5445			5445 00
5	पूरा गड्डो का खुदान एवं रोपण करना	545	सं० / पौ०	8 00	4360 00
6	पौधों का डुलान कार्य करना	545	सं० / पौ०	4 40	2400 00
7	गड्डो व गाबर खाद डालना मय डुलान सहित	545	सं० / पौ०	9 00	4900 50
8		545	सं० / पौ०	1 95	1081 78

तृतीय चरण का योग

83880.23

चतुर्थ चरण

1	रोपण वर्ष के बाद द्वितीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	5 4450	₹०	685 00	44757 90
2	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य)	5 4450	₹०	450 00	2450 25

चतुर्थ चरण का योग :-

47208.15

पंचम चरण

1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	5 4450	₹०	685 00	44757 90
2	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य)	5 4450	₹०	450 00	2450 25

पंचम चरण का योग :-

47208.15

छठवां चरण

1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	5 4450	₹०	685 00	44757 90
2	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य)	5 4450	₹०	450 00	2450 25

छठवें चरण का योग :-

47208.15

सातवां चरण

1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	5 4450	₹०	685 00	44757 90
2	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य)	5 4450	₹०	450 00	2450 25

सातवें चरण का योग :-

47208.15

आठवां चरण

1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	5 4450	₹०	685 00	44757 90
2	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य)	5 4450	₹०	450 00	2450 25

आठवें चरण का योग :-

47208.15

नवम चरण

1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	5 4450	₹०	685 00	44757 90
2	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य)	5 4450	₹०	450 00	2450 25

नववें चरण का योग :-

47208.15

दशम चरण

1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	5 4450	₹०	685 00	44757 90
2	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य)	5 4450	₹०	450 00	2450 25

दशवें चरण का योग :-

47208.15

5-कुल व्यय सारास प्रति है० व कुल व्यय

क्र०	वर्ष का नाम	प्रति है० व्यय
1	प्रथम वर्ष	369045 77
2	द्वितीय वर्ष	165179 52
3	तृतीय वर्ष	33880 23
4	चतुर्थ वर्ष	47208 15
5	पंचम वर्ष	47208 15
6	छठवें वर्ष	47208 15
7	सातवां वर्ष	47208 15
8	आठवां वर्ष	47208 15
9	नवम वर्ष	47208 15
10	दशम वर्ष	47208 15

कुल व्यय रुपये

948562.56

मृदा एव जल संरक्षण कार्य

887404.32

प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक 972/3 5 2 दिनांक 19.08.2015
के अनुसार वसूली वर्ष 2020-21 हेतु देय दर/ 337184.00 रु./ है०

5.445

Ha.

1835966.88

R. K. K. K.
वा. सं. व. सं. सं.
वा. सं. व. सं. सं.
वा. सं. व. सं. सं.

उप. व. सं. सं.
रु. सं. व. सं. सं.
रु. सं. व. सं. सं.



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
पी०एम०जी०एस०वाई०(सि०ख०)

जखोली, रुद्रप्रयाग।

Email: ceepngsy.jakholi@rediffmail.com

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना

पत्रांक:- 1022 / पी०एम०जी०एस०वाई० / सि०ख० / दिनांक 21 / 01 / 2022

सेवा में,

उप वन संरक्षक,
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग,
जनपद-रुद्रप्रयाग।

विषय-

जनपद रुद्रप्रयाग में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत कुण्जेठी से ब्यूखी मोटर मार्ग की अनुपालन आख्या में आयी कमियों के निराकरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:-

भारत सरकार के पत्र संख्या:- 8बी./यू.सी.पी./06/197/2019/एफ.सी./523
दिनांक 06.08.2021।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र (संलग्न) के क्रम में अवगत कराना है, कि इस खण्डान्तर्गत कुण्जेठी से ब्यूखी मोटर मार्ग (FP/UK/ROAD/38416/2019) की सैद्धान्तिक स्वीकृति के पश्चात विधिवत स्वीकृति हेतु अनुपालन आख्या प्रेषित की गयी थी। भारत सरकार द्वारा अनुपालन आख्या में कमियाँ पायी गयी। जिसका विवरण निम्नानुसार है-

शर्त संख्या	कमियाँ	निराकरण
3 (क)	Name of the CA area has not been mentioned in compliance. State Government may submit clarification in this regard.	वन विभाग द्वारा किया जाना है
3 (ख)	Name of the CA area has not been mentioned in undertaking. State Government may submit an undertaking mentioning the name of the proposed CA area, that selected CA area has not been proposed for any other proposal in past.	वन विभाग द्वारा किया जाना है
8	State Government may submit CA scheme with detailed breakup of money and ensure plantation of indigenous species only in the CA area, along with the list of species and their respective number of plants to be planted.	वन विभाग द्वारा किया जाना है
9	State Government may provide the revenue code of beneficiary village to this office.	Revenue code Kunjethi-042089 Byunkhi-042088

अतः महोदय अपने स्तर से उचित कार्यवाही करने का कष्ट करें। जिससे उक्त मोटर मार्ग की विधिवत स्वीकृति प्राप्त हो सके।

अधिशासी अभियन्ता,
पी०एम०जी०एस०वाई०(सि०ख०)
जखोली,(रुद्रप्रयाग)

पत्रांक:- / पी०एम०जी०एस०वाई० / सि०ख० / तददिनांक

प्रतिलिपि:- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ।

अधिशासी अभियन्ता,
पी०एम०जी०एस०वाई०(सि०ख०)
जखोली,(रुद्रप्रयाग)

भारत सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून

25 सुभाष रोड, देहरादून-248001

दूरभाष- 0135-2650809

फैक्स-0135-2653010

ईमेल- moef.ddn@gov.in



सत्यमेव जयते

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST &
CLIMATE CHANGE

INTEGRATED REGIONAL OFFICE, DEHRADUN

25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001

PHONE- 0135-2650809

FAX- 0135-2653010

Email- moef.ddn@gov.in

फाईल संख्या 8बी./यू.सी.पी./06/197/2019/एफ.सी./523

दिनांक: 06/08/2021

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय:- जनपद - रुद्रप्रयाग में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कुणजेठी से ब्यूंखी मोटर मार्ग (लम्बाई 7.500 किमी0) के निर्माण हेतु 2.7225 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण। (FP/UK/ROAD/38416/2019)

सन्दर्भ:-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्रांक -
268/FP/UK/ROAD/38416/2019 दिनांक 29-07-2021

महोदय,

उपरोक्त विषय पर सन्दर्भित पत्र का आशय ग्रहण करते हुए मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि इस कार्यालय के पत्र दिनांक 06.07.2020 द्वारा प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई थी जिसकी अनुपालना राज्य सरकार के संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गई है प्रस्तुत अनुपालन आख्या में निम्नलिखित कमियां पाई गयी है जिसकी पूर्ति राज्य सरकार से अपेक्षित है:-

- 1- In compliance to condition No. 3 (क), name of the CA area has not been mentioned in compliance. State Government may submit clarification in this regard.
- 2- In compliance to condition No. 3 (ख), name of the CA area has not been mentioned in undertaking. State Government may submit an undertaking mentioning the name of the proposed CA area, that the selected CA area has not been proposed for any other proposal in past.
- 3- In compliance to condition No. 8 & 9, it is submitted that the conditions will be complied. State Government is requested to go through the conditions (8 and 9 of in-principle approval) which are as follows and submit the required documents:
 - (i) Condition No. 08: State Government may submit CA scheme with detailed breakup of money and ensure plantation of indigenous species only in the CA area, along with the list of species and their respective number of plants to be planted.

- (ii) Condition No. 09: State Government may provide the revenue code of beneficiary village to this office.

भवदीय,


(टी० सी० नौटियाल)
उप महानिरीक्षक, वन (के०)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अपर मुख्य सचिव (वन), उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड, देहरादून।


(टी० सी० नौटियाल)
उप महानिरीक्षक, वन (के०)